

FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत मुकाम

सरकार जरिये तहसीलदार बेगू बनाम पुत्र खाई
करम मुकदमा नं० २०/११ सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
01.07.2019	<p>वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगू द्वारा डी.आई.एल. आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र क्रमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो।</p>	<p>सोहनलाल नाथु लाल</p>
12.7.19	<p>पत्रावली आप पेश ई। भूमिधारी तहसीलदार व सभी पक्षकार उपस्थित। सभी पक्षकारों के आपसी असली में हिस्से नहीं होने के कारण छिड़ने वाले सभी पक्ष कारों के आपसी वास्ते में हिस्से बनाये जा निम्न हैं। गुम बानोडा असली में 388, 389, 390, 401, 402, 403 डेरा 600000 रु. 45 रु. भूमि में पुत्र खाई पिता गोपी लाल हिस्सा 1/16 लाल का हिस्सा 1/16 बापु का हिस्सा 1/16 पिता देवा दास पुत्री रामचण्ड का हिस्सा 1/16</p>	<p>चूनीलाल मोहन बेरे रामचण्ड गोपाल लाल</p> <p>किरणलाल किरणलाल किरणलाल</p>

नाथु पि देवी का हिस्सा 1/80 सोनार का हिस्सा
 1/80 मोला का हिस्सा 1/80 गड्डु का हिस्सा
 1/80 पिता देवी मल्लाराम का हिस्सा 1/40
 लामनार का हिस्सा 1/40 पिता रामचन्द्र चुन्नीलाल
 पिता गोकुण्ड का हिस्सा 1/20 रतना का हिस्सा
 1/20 मोहन का हिस्सा 1/20 कमल का हिस्सा
 1/20 लक्ष्मी का हिस्सा 1/20 सुनी का हिस्सा
 1/20 पिता भूरा जहाई बेवा भूरा का हिस्सा 1/20
 गोपाल का हिस्सा 1/60 कान्हेम का हिस्सा 1/60 पिता
 बालु रामी बेवा बालु का हिस्सा 1/60 देवद्विप्रम
 पिता चुन्नीलाल का हिस्सा 1/4 गोकुण्ड पिता नंद
 का हिस्सा 1/24 राधा बेवा नंद का हिस्सा 1/24
 काली सुनी नंद का हिस्सा 1/24 रामेश्वरलाल का
 हिस्सा 1/24 लक्ष्मी का हिस्सा 1/24 पिता
 लक्ष्मीलाल श्रीराम पत्नी लक्ष्मी लक्ष्मीलाल का हिस्सा
 1/24 लाली लक्ष्मी लक्ष्मी देवी लक्ष्मीलाल । हमने यह
 हिस्से व खारेजारे द्वारा बताया गये हिस्से माल
 माल से खरा गया जिससे इनके श्री देवी
 हिस्से पर कसमती उकर की गई।

अतः कसम खारेजारे की कसमती

का तहसीलदार वगैरे की रिपोर्ट व JLRMP के
 तहत सभी माननीय राजस्व मजदुर इजमेर के आदेश/
 परिपत्र/क्रमांक/BR/LR/NLRMP F-126/पार्ट-2/
 10164-96 दिनांक 26.9.2017 के अनुसार उनके
 पूर्व की वर्गित हिस्से के अनुसार खारेजारी कोषों
 की जाती है। जिसमें किमि (आला) से निष्कास
 जाकर फायदा केसल सुमार होकर नगदर से
 कम है।

सहस्रिय कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी) 19
 मेरठ (धरमपुर)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या : 70 / 2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगू तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ़

.....वादी

बनाम

1. प्रेमबाइ पिता गोपी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
2. कालू पिता दोला दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
3. राजु पिता दौला दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
4. धापू पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
5. नाथ पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
6. सोसर पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
7. मौत्या पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
8. गट्टु पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
9. सत्यनारायण पिता प्यारचन्द्र दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
10. लाभचन्द्र पिता प्यारचन्द्र दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
11. चुन्नीलाल पिता गोविन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
12. रतना पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
13. मोहन पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
14. कमली पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
15. रूकमणी पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
16. भूली पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
17. जडाई पत्नि भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
18. गोपाल पिता बालू दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
19. शोभालाल पिता बालू दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
20. रामी पत्नि बालू दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
21. देवकिशन पिता चुन्नीलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
22. भैरू पिता नंदा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
23. काली पिता नंदा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
24. राधा पत्नि नंदा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
25. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
26. रूकमाबाई पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
27. हीरीबाई पत्नि स्व.कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू




.....प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगू
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1 से 27

निर्णय दिनांक : 12.07.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगू द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ-126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प


सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौडगढ़)

कोर्ट जयनगर पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 12.07.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित आये।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगू द्वारा उनके पत्रांक 1218 दिनांक 19.06.2019 से अवगत कराया कि ग्राम बानोडा के खाता संख्या 95 सं. 2071-74 में दर्ज आराजी संख्या 388, 389, 390, 401, 402, 403 किता- 6 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि श्री प्रेमबाई पिता गोपी, कालू राजु पिता दौला वगैरह जमाबंदी अनुसार दर्ज रेकार्ड होकर उक्त खाते में हिस्से दर्ज नहीं है। अतः वादी भूमिधारी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली को दिनांक 12.7.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर रखाया गया। सभी पक्षकारान उपस्थित आए। पक्षकारो को सुना गया। प्रतिवादीगण में उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा ग्राम बानोडा में वाद वर्णित आराजी किता-6 रकबा 0.45 हैक्टर उनकी सामलाती पैतृक भूमि है एवं चम्पालाल जी के वारिसान के चार पुत्रो गोविन्द, दौला, रतना, चन्दन पिता चम्पालाल के नाम से दर्ज हुई है जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/4 है। गोविन्द दौला रतना चन्दन के फोट जाने से उनके वारिसान के नाम दर्ज हुए है। कमली बेवा उँकार द्वारा स्वयं के निहित हिस्से का बेचान जो 1/4 देवकिशन पिता चुन्नीलाल दरोगा किया गया है। कैम्प कोर्ट पर पक्षकारो के समक्ष सजरा बनाया गया, सजरे में पक्षकारो द्वारा बताये मुताबिक खातेदारो के हिस्से दर्ज किये गये। सजरे में दर्ज हिस्से घोषित करवाने हेतु सभी प्रतिवादीगण सहमत हुए।

हमने रेकार्ड का अवलोकन किया, भू-प्रबन्ध रिकोर्ड में वाद वर्णित आराजी किता-50 रकबा 07.60 हैक्टर श्री गोविन्द दौला रतना पिता चम्पा नंदा काना पिता चन्दन दरोगा साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। विरासत नामा.सं. 11 से दौला के बजाय गोपी कालू रामचन्द्र राजु पिता दौला नामा. सं. 12 से रतना के बजाय उँकार पिता रतना ना.सं. 361 से गोविन्द के बजाय देवी मोडा चुन्नी भूरा व बालू पिता गोविन्द, नामा.सं. 206 से नंदा के बजाय भैरू पिता नंदा काली पिता नंदा राधा पत्नि नंदा नामा. सं. 170 से देवी के बजाय नाथू पिता देवी, सोसर मोत्या गट्टु पिता देवी नंदू पत्नि देवी, मोडा के बजाय सोहनी पिता मोडा भूरा के बजाय रतना मोहन पिता भूरा कमली रूकमणी भूली पिता भूरा जडाई बेवा भूरा, बालू के बजाय गोपाल सोहन पिता बालू कंचनी पिता बालू रानी पत्नि बालू, गोपी के बजाय गीता प्रेम पिता गोपी, मोडीबाई पत्नि गोपी, रामचन्द्र के बजाय धापू पिता रामचन्द्र उँकार के बजाय कमली पत्नि उँकार, नामा. सं. 272 से सोहनी पिता मोडा के बजाय सत्यनारायण लाभचंद्र पिता प्यारचंद्र, नामा. सं. 668 से काना पिता चन्दन के बजाय रामेश्वरलाल रूकमाबाई पिता कन्हैयालाल हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयालाल नामा. सं. 308 विक्रय से कमली पत्नि उँकार के बजाय देवकिशन पिता चुन्नीलाल दर्ज हुए है।

मजमें आम में सजरे अनुसार खातेदारो के हिस्से की जानकारी की गई जिसमें यह जाहिर आया कि वाद वर्णित आराजी किता- 6 रकबा 0.45 हैक्टर सामलाती आराजी है, देवकिशन पिता चुन्नीलाल द्वारा कमली पत्नि उँकार का हिस्सा कय करने से खाते में


सत्यनारायण
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (घिसौदगद)

कमलीबाई पत्नि उँकार का नाम नहीं आया है, उक्त आराजी चम्पालाल जी की होकर उसके चार पुत्रो गोविन्द दौला रतना चन्दन पिता चम्पा के नाम से दर्ज हुई है, जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/4 बनता है जो सही है। कमलीबाई पत्नि उँकार का निहित हिस्सा जो 1/4 बनता है का बेचान देवकिशन पिता चुन्नीलाल दरोगा को किया गया है। अतः मजमें आम में प्राप्त जानकारी व पक्षकारान की सहमती से मौजा बानोडा की आराजी संख्या व नन्दा काना पिता चन्दन के नाम से दर्ज हुई है, जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/4 बनता है जो सही है। अतः मजमें आम में प्राप्त जानकारी व पक्षकारो की सहमती से मौजा बानोडा की आराजी संख्या 388, 389, 390, 401, 402, 403 किता- 6 रकबा 0.45 हैक्टर में भूमि हिस्से की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम बानोडा कि खाता संख्या 95 में दर्ज आराजी संख्या 388, 389, 390, 401, 402, 403 किता- 6 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि में प्रेमबाई पिता गोपी का हिस्सा 1/16, कालू का हिस्सा 1/16, राजु का हिस्सा 1/16, पिता दौला, धापू पुत्री रामचन्द्र का हिस्सा 1/16, नाथू पिता देवी का हिस्सा 1/80, सोसर का हिस्सा 1/80, मोत्या का हिस्सा 1/80, गट्टु का हिस्सा 1/80 पिता देवी, सत्यनारायण का हिस्सा 1/40, लाभचन्द्र का हिस्सा 1/40, पिता प्यारचन्द्र, चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा 1/20, रतना का हिस्सा 1/120, मोहन का हिस्सा 1/120 पिता भूरा, कमली का हिस्सा 1/120, रूकमणी का हिस्सा 1/120, भूली का हिस्सा 1/120 पिता भूरा, जडाई बेवा भूरा का हिस्सा 1/120, गोपाल का हिस्सा 1/60, सोहन का हिस्सा 1/60 पिता बालू, रामी बेवा बालू का हिस्सा 1/60, देवकिशन पिता चुन्नीलाल का हिस्सा 1/4, भैरू पिता नंदा का हिस्सा 1/24, राधा बेवा नंदा का हिस्सा 1/24, काली पुत्री नंदा का हिस्सा 1/24, रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/24, रूकमाबाई का हिस्सा 1/24 पिता कन्हैयालाल, हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयालाल का हिस्सा 1/24 जातियान दरोगा साकिन देह के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर लिखाया जाकर सुनाया गया।


(रमेश मिश्रा पुत्राडिया)
सहायक कलेक्टर (असहायक) अधिकारी
बेगू जिला (बानोडा)

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या : 70/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगू तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ़
वादी


बनाम

1. प्रेमबाइ पिता गोपी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 2. कालू पिता दोला दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 3. राजु पिता दौला दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 4. धापू पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 5. नाथ पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 6. सोसर पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 7. मौत्या पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 8. गट्टु पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 9. सत्यनारायण पिता प्यारचन्द्र दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 10. लाभचन्द्र पिता प्यारचन्द्र दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 11. चुन्नीलाल पिता गोविन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 12. रतना पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 13. मोहन पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 14. कमली पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 15. रुकमणी पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 16. भूली पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 17. जडाई पत्नि भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 18. गोपाल पिता बालू दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 19. शोभालाल पिता बालू दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 20. रामी पत्नि बालू दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 21. देवकिशन पिता चुन्नीलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 22. भैरू पिता नंदा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 23. काली पिता नंदा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 24. राधा पत्नि नंदा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 25. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 26. रुकमाबाई पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
 27. हीरीबाई पत्नि स्व.कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
- प्रतिवादीगण



वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 12.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :


अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सह धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम बानोडा के खाता संख्या 95 में दर्ज आराजी संख्या 388, 389, 390, 401, 402, 403 किता- 6 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि में प्रेमबाई पिता गोपी का हिस्सा 1/16, कालू का हिस्सा 1/16, राजु का हिस्सा 1/16, पिता दौला, धापू पुत्री रामचन्द्र का हिस्सा 1/16, नाथू पिता देवी का हिस्सा 1/80, सोसर का हिस्सा 1/80,


सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौड़गढ़)

मोत्या का हिस्सा 1/80, गट्टु का हिस्सा 1/80 पिता देवी, सत्यनारायण का हिस्सा 1/40, लाभचन्द्र का हिस्सा 1/40, पिता प्यारचन्द्र, चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा 1/20, रतना का हिस्सा 1/120, मोहन का हिस्सा 1/120 पिता भूरा, कमली का हिस्सा 1/120, रूकमणी का हिस्सा 1/120, भूली का हिस्सा 1/120 पिता भूरा, जडाई बेवा भूरा का हिस्सा 1/120, गोपाल का हिस्सा 1/60, सोहन का हिस्सा 1/60 पिता बालू, रामी बेवा बालू का हिस्सा 1/60, देवकिशन पिता चुन्नीलाल का हिस्सा 1/4, भैरू पिता नंदा का हिस्सा 1/24, राधा बेवा नंदा का हिस्सा 1/24, काली पुत्री नंदा का हिस्सा 1/24, रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/24, रूकमाबाई का हिस्सा 1/24 पिता कन्हैयालाल, हीरीबाई पत्नि स्व.कन्हैयालाल का हिस्सा 1/24 जातियान दरोगा साकिन देह के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

 12-7-19
(रमेश सुन्दर कुंजुडिया)
सहायक कलेक्टर (अखण्डरी) अधिकारी
बेगू जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगू को पालनार्थ प्रस्तुत है।